



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 901 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2003/आश्विन 8, 1925

No. 901 ]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2003/ASVINA 8, 1925

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2003

का.आ. 1140(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुनर्वास परिषद् में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1102(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्यांक 4क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- |     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 4ख. | श्री आर. साहा, सलाहकार/वैज्ञानिक जी,<br>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय,<br>विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,<br>प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली। | सदस्य;                |
| 4ग. | श्री जी. वेंकटेशन,<br>निदेशक (जी.सी.)<br>ग्रामीण विकास मंत्रालय,<br>कृषि भवन, नई दिल्ली।  | सदस्य;                |
| 4घ. | डॉ. एच. सी. गोयल,<br>पुनर्वास विभाग का अध्यक्ष,<br>सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।  | सदस्य। <sup>(1)</sup> |

[फा. सं. 25-7/2002-डीडी-3]

श्रीमती राजवंत संधू, संयुक्त सचिव

टिप्पण: परिषद् का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण सं. 25-1/88-एच डब्ल्यू-3 तारीख 22 जून, 1993 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात्, अधिसूचना सं. का.आ. 125(अ) तारीख 14 फरवरी, 1996, सं. का.आ. 483(अ) तारीख 3 जून, 1998, का.आ. 1102(अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2002 द्वारा पुनर्गठित की गई थी तथा उसके बाद का.आ. 693(अ) दिनांक 13 जून, 2003 द्वारा उसमें संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2003

S.O. 1140(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government hereby appoints the following persons as members in the Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, number S.O. 1102(E) dated the 21st October, 2002, namely:—

In the said notification, after serial number 4A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| 4B. | Shri R. Saha,<br>Adviser/Scientist G,<br>Ministry of Science and Technology,<br>Department of Science and Technology,<br>Technology Bhawan, New Mehrauli Road,<br>New Delhi. | Member. |
| 4C. | Shri V. Venkatesan,<br>Director (GC),<br>Ministry of Rural Development,<br>Krishi Bhawan,<br>New Delhi.  | Member. |
| 4D. | Dr. H.C. Goyal,<br>Head of Rehabilitation Department,<br>Safdarjung Hospital,<br>New Delhi.  | Member. |

[F.No. 25-7/2002-DD-III]

Smt. RAJWANT SANDHU, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification constituting the Council was published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. 25-1/88-HW-III dated the 22nd June, 1993 and subsequently re-constituted vide number S.O. 125(E) dated the 14th February, 1996, number S.O. 483(E) dated the 3rd June, 1998, number S.O. 1102(E) dated 21st October, 2002 and subsequently amended vide number S.O. 693(E) dated 13th June, 2003.